न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 49/2018 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00318

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. आसुराम पुत्र वरदाजी 2. मानाराम पुत्र मंगलारामजी जातिगण राईका, निवासीगण सज्जनपुरा, तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)		1. मोहन पुत्र मोताजी 2. भगाराम पुत्र मोताजी, जातिगण पिटल, निवासीगण सज्जनपुरा, तहसील रोहट, जिला पाली(राज.) 3. ग्राम पंचायत सोनाईलाखा, जरिये सरपंच, तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

<u>पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994</u>

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेर सिंह राजपुरोहित

अप्रार्थी की और से श्री दिपाराम जी परमार

–:: <u>नि र्ण य</u> ::–

दिनांक :– 4-1-21

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत सोनाईलाखा द्वारा पारित आदेश दिनॉंक 13.01.1985 जिसके तहत अप्रार्थीगण श्री मोहन व भगाराम पुत्रगण मोता जी जाति पीटल निवासी सज्जनपुरा तहसील रोहट के हक में पट्टा संख्या 33 जारी किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर ग्राम पंचायत सोनाईलाखा से रेकर्ड तलब किया गया।

पत्रावली अवलोकन से पाया कि प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किया है कि ग्राम सज्जनपुरा के खसरा नम्बर 488 रकबा 13 बीघा 21 बीस्वा राजकीय सिवायचक भूमी स्थित है जिसमें देवासी जाति के लोगों के बाडे बने हुए है जिसमें प्रार्थीगण का भी उक्त बाडा बना हुआ है उक्त सिवायचक भूमी आबादी भूमी नही होने से पूर्व ग्राम पंचायत खाण्डी एवं वर्तमान ग्राम पंचायत सोनाईलाखा को विक्रय विलेख जारी करने का अधिकार नहीं है फिर भी पूर्व ग्राम पंचायत खाण्डी द्वारा अप्रार्थी के हक में जैर निगरानी पट्टा संख्या 33 जरिये मिसल संख्या 33/13.10.1984 एवं प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 13.01.1985 की पालना में जारी कर दिया गया जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। उक्त पट्टा जारी करते समय सम्बन्धी राजस्थान पंचायत राज अधिनियम में वर्णित नियम 144 से 157 अनुसार कार्यवाही नहीं की गई। एवं पट्टा जारी कर दिया गया है। प्रार्थीगण को निर्माण कार्य कराया जाने बाबत पता चला तब पता चलते ही रोका तो जैर निगरानी पट्टे का हवाला देकर अप्रार्थीगण ने [illegible] है आपको हम हटायेंगे, तो प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार साहब [illegible] करने पर पटवारी हल्का, भू अभिलेख निरीक्षक [illegible] एवं उसकी पटवारी हल्का द्वारा टी.पी. [illegible] में पेश की गई। [illegible] पट्टे के खारिज करने हेतु पंचायत से रेकर्ड की [illegible] लेने गया तो [illegible] पट्टा बाबत ग्राम पंचायत सोनाईलाखा में रेकर्ड नहीं होने बाबत उन्होंने लिखित में दिया तथा इस न्यायालय को अवगत भी कराया कि जैर निगरानी पट्टे सम्बन्धी रेकर्ड सोनाईलाखा ग्राम पंचायत में नहीं है मात्र पट्टा बुक है तो पूर्व पंचायत खाण्डी को भी पत्र लिखा गया ग्राम पंचायत खाण्डी से रिपोर्ट प्राप्त होती इससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:43:45 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलक्टर, पाली

क्रमश.....................2

पूर्व ही आज अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर अदालत होकर एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है इसलिए प्रार्थीगण उस प्रकरण को नहीं चलाना चाहते है प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के अधिवक्ता एवं प्रार्थीगण के हस्ताक्षर होने से प्रकरण जरिये विड्रोल खारिज फरमाया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें पाया कि ग्राम पंचायत सोनाईलाखा द्वारा जैर निगरानी पट्टा ग्राम सज्जनपुरा के खसरा संख्या 488 में बने बाड़े का जारी किया है। जो ग्राम पंचायत की नूजूल आबादी भूमी नहीं होकर सिवाय चक भूमी में जारी किया गया है। पत्रावली संलग्न खसरा परिवर्तनशील की प्रतियां वर्ष 2063 तक की फोटोप्रतियां से भी जैर निगरानी आराजी का राजस्व भूमी होना सिद्ध होता है इसी भूमी बाबत माननीय सिविल न्यायाधीश पाली के न्यायालय में एक अन्य प्रकरण संख्या 62/2018 मोहनलाल वगैरा बनाम चैलाराम चला था जो अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के चला, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निर्णय दिनांक 08.12.2018 के बिन्दु संख्या 6 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि "प्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा बाबत प्रथमदृष्टया प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहे तथा प्राप्त कमीश्नर रिपोर्ट से यह प्रकट हुआ है कि विवादग्रस्त भूमि सिवायचक सरकारी भूमि की खसरा संख्या 488 के भाग की है ऐसे में प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करने से प्रार्थीगण को कोई असुविधा या ऐसी क्षति होने की संभावना प्रकट नहीं होती है।" एवं सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किए गए है। पत्रावली संलग्न तहसीलदार रोहट के आदेश क्रमांक राजस्व/2018/929 दिनाँक 09.07.2018 की पालना में रेवेन्यू इंस्पेक्टर बिठू एवं पटवार हल्का सोनाईलाखा मय पुलिस जाब्ता एवं मौतबिरान के द्वारा दिनाँक 9.7.2018 को की गई मौका जाँच रिपोर्ट की प्रति से सज्जनपुरा के खसरा नम्बर 488 रकबा 13.02 बीघा किस्म बारानी अव्वल में मोहन व भगाराम पुत्रगण मोताजी कौम पटेल द्वारा अतिक्रमण किया जाना एवं निर्माण कार्य किया जाना स्पष्ट है ऐसी स्थिति में यह निर्विवाद रूप से सही है कि जैर निगरानी आराजी का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा राजकीय सिवाय चक भूमी में जारी किया गया है न की आबादी भूमी में । ऐसी स्थिति में इस निगरानी में प्रस्तुत उक्त राजीनामें को स्वीकार करना न्यायोचित नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। जैर निगरानी पट्टा को राजकीय भूमि में अविधिक रूप से जारी किया गया जो ab initio void है तथा न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य लाने के उपरान्त राजीनामें के आधार पर एक अविधिक आदेश की निगरानी को निरस्त करना न्यायोचित नहीं है तथा इस न्यायालय का ग्राम पंचायत द्वारा जारी अविधिक आदेश का निरस्त किया जाना धारा 97 के तहत दायित्व भी बनता है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टे को यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

क्रमश.....................3

जिला कलक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rathi
Date: 2021.03.05 19:43:45 IST
Reason: SelfAttested

परिणामस्वरूप निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत सोनाईलाखा द्वारा ग्राम सज्जनपुरा में जारी जैर निगरानी पट्टा संख्या 33 जो मिसल संख्या 33/13.10.1984 में पारित आदेश दिनांक 13.07.1985 एवं संकल्प संख्या 3 दिनांक 13.01.1985 की पालना में जारी किया गया उसे निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 4-1-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया जावे।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:43:45 IST
Reason: SelfAttested